राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)

उत्तराखण्ड

NAAC द्वारा "**B**" ग्रेड प्रदत्त

(श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड से सम्बद्ध)

प्रवेश विवरणिका

सत्रः 2022–2023

(कला / विज्ञान / वाणिज्य संकाय हेतु)

आमुख (**Preface**)

स्वतन्त्रता–प्राप्ति के पश्चात् देश में अनेक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय एवं शोध–संस्थान स्थापित किए गये। इन संस्थानों ने अनेक प्रतिभाओं को जन्म दिया और देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शिक्षा के महत्व को समझते हुए उत्तराखण्ड में भी अनेक शिक्षण संस्थाएँ प्रतिभाओं के विकास में अपना–अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही हैं। इस क्रम में 1979 ई0 में चम्बा (टिहरी गढ़वाल) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हुई। नई टिहरी नगर के अस्तित्व में आने के उपरान्त उक्त महाविद्यालय को ही उच्चीकृत कर दिनांक 08 सितम्बर, 2003 को यहाँ स्थानान्तरित कर दिया गया।

इसी नए शहर के हृदय–बिन्दु में अवस्थित इस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्थापना के प्रथम सत्र से ही स्नातकोत्तर स्तर तक कला, विज्ञान व वाणिज्य संकायों के कुल 19 विषयों में एक साथ पठन–पाठन प्रारम्भ किया गया था। महाविद्यालय जी0आई0टी0आई0 एवं पूर्व मॉडल स्कूल के भवनों में संचालित किया जा रहा है। शासनादेश संख्या 198/xxiv(7) 2015–2(6)08 दिनांक 08.05.2015 के द्वारा महाविद्यालय को विधिवत् स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ की तिथि से दिया गया है। वर्तमान में महाविद्यालय में 52 शिक्षक कार्यरत हैं।

वर्ष 2006 में महाविद्यालय UGC की धारा 2F/12B से आच्छादित हो गया है तथा वर्ष 2007 में उत्तराखण्ड शासन द्वारा महाविद्यालय को विशिष्ट महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। अपनी स्थापना के वर्ष से ही महाविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की ओर उन्मुख है। निरन्तर बढ़ती छात्र संख्या एवं 2012–13 में नैक द्वारा प्रदत्त ग्रेड ''B'' से इस बात की पुष्टि होती है। महाविद्यालय अत्यन्त कम समय में ही ग्रेड–''B'' प्राप्त कर सन्तोष का अनुभव करते हुए आगामी समय में ''ग्रेड–A'' हेतु प्रयासरत् है।

पठन–पाठन के अतिरिक्त अन्य रचनात्मक क्रियाकलापों में भी महाविद्यालय अपनी पहचान बनाने में सफल रहा है। अन्तर–महाविद्यालय खेल प्रतियोगिताएँ सम्पन्न कराने के अतिरिक्त अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं द्वारा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खेलों में सहभागिता की जाती रही है।

महाविद्यालय में एन0एस0एस0 की तीन इकाइयाँ संचालित की जा रही हैं तथा एन0सी0सी0 की इकाई प्रारम्भ करने की प्रकिया गतिमान है।

महाविद्यालय में शोध करने के इच्छुक छात्र/छात्राओं को पी0एच–डी0 उपाधि हेतु शिक्षकों द्वारा शोध–निर्देशन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है।

महाविद्यालय में यू0जी0सी0/राज्य सरकार के सहयोग से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की कक्षायें भी पिछले सत्र से प्रारम्भ की गयी हैं जिसका लाभ छात्र/छात्राएँ प्राप्त कर सकते हैं।

महाविद्यालय परिवार समस्त नवागन्तुक एवं पूर्व से ही अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं का इस नूतन सत्र (2021–2022) में हार्दिक स्वागत करता है। आएं, हम सब मिलकर इस महाविद्यालय को उन्नति के शिखर पर पहुँचायें, सभी के मध्य निरन्तर उद्देश्यपरक संवाद बना रहे और मनसा, वाचा, कर्मणा महाविद्यालय की प्रगति हेतु प्रयासरत रहें।

आपके उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं सहित।

प्राचार्य

दृष्टि (VISION)

छात्रों में युगानुकूल ऐसी क्षमता पैदा करना, जिससे वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध बन सकें तथा विकास एवं उसमें आने वाली समस्याओं के सन्दर्भ में स्थानीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कर मूल्य–आधारित समाज का निर्माण और राष्ट्र के विकास में प्रभावी योगदान कर सकें।

लक्ष्य (MISSION)

1. अपनी अन्तर्दृष्टि को मूर्त रूप में साकार करने के लिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी शासन–प्रशासन तथा समाज के निर्धारित मूल्यों, नियमों का परिपालन करते हुए युवा छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा की विभिन्न विधाओं में प्रभावी ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
2. महाविद्यालय छात्र/छात्राओं के बहुमुखी विकास यथा–अनुशासन, क्रीड़ा, सांस्कृतिक, गतिविधियों, नेतृत्व क्षमता, सामुदायिकता आदि के विकास के लिए प्रयासरत है।
3. स्वरोजगार हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।
4. शोध हेतु उच्चस्तरीय सुविधायें उपलब्ध कराना, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समसामयिक विषयों पर चर्चा–परिचर्चा कराना कार्य योजना का अंग है।
5. तकनीकी सुविधाओं के माध्यम से शिक्षा दिये जाने हेतु महाविद्यालय प्रतिबद्ध है क्योंकि तकनीकी युग में अध्यापन का परम्परागत स्वरूप अपेक्षाकृत कम प्रभावी है।

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

(Important Instruction for Admission)

1. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में आवेदन के इच्छुक आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी रूचि के विषय चुनने और आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी प्रवेश नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
2. प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का नवीनतम् पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (रंगीन) एवं हस्ताक्षर को स्केन कर उचित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है।
3. अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से पूर्व ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र भर कर आवेदन पत्र का प्रिंट सम्पूर्ण प्रमाण पत्रों के साथ महाविद्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।
4. प्रवेश मिलने के पश्चात सामान्यतः विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा। सीटों की उपलब्धता होने पर ही प्रवेश समिति के अनुमोदन पर प्रवेश तिथि की समाप्ति के 10 दिनों के अन्तर्गत विषय परिवर्तन किया जा सकता है।
5. प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को वार्षिक शुल्क, आदि जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात निर्धारित अवधि में परीक्षा फार्म भरकर प्राचार्य कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
6. महाविद्यालय प्रशासन बिना कारण बताये किसी भी आवेदक को प्रवेश लेने हेतु मना कर सकता है या उसका प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।
7. प्रत्येक छात्र को प्रवेश के लिए अंतिम अधिसूचित तिथि से पूर्व तक एकमुस्त वार्षिक शुल्क जमा कराना होगा। ऐसा न होने पर विद्यार्थी की प्रवेश स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी किन्तु कश्मीर से पुनर्स्थापितों के लिए अंतिम तिथि में एक माह की छूट का प्रावधान है।
8. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग इत्यादि आरक्षित श्रेणी से आच्छादित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिको के आश्रितों (पुत्र/पुत्री/पत्नी/भाई/बहिन को) यदि वे अर्ह हों तो स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति विषय एक सीट तथा स्नातक स्तर पर सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
10. निर्धारित सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण प्रत्रों पर ही प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
11. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रवेश नियम सत्र 2022–23

(Admission Rules)

निम्न नियम सभी कक्षाओं पर लागू होगें

1. विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा कला एवम् वाणिज्य संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक एवम् स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।
2. अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछडें वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तरांचल शासनादेश संख्या–1144 / क्रामिक–2–2001–53(1) / 2001 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुमन्य होगी जो कि निम्नवत् है।

   अनुसूचित जाति– 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति– 04 प्रतिशत, अन्य पिछड़ावर्ग– 14 प्रतिशत, इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से हारिजेन्टल आरक्षण देय होगाः महिला– 30 प्रतिशत, भूतपूर्वसैनिक– 05 प्रतिशत, दिव्यांग– 04 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित– 02 प्रतिशत, निम्न आय वर्ग–10 प्रतिशत। आरक्षण केवल उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ही होगा। किसी भी श्रेणी में आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

   उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेगें। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा, बशर्ते वे वरीयता सूचकांक में अर्ह हो। उत्तराखण्ड से बाहर की सीट रिक्त रहने की स्थिति में उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सूची के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

   दिव्यांग अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है ,उसी श्रेणी में 04 प्रतिशत का आरक्षण देय होगा। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु संकाय में स्नातकोत्तर स्तर की सम्पूर्ण सीटों की संख्या के आधार पर विकलांग श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की गिनती की जायेगी, तदुपरान्त प्राचार्य / संकायाध्यक्ष यह निर्णय लेगें कि आरक्षित सीटों पर प्रवेशार्थी उपलब्ध न होने पर सीटों को सामान्य श्रेणी से भरा जा सकेगा।
3. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है, वशर्ते कि उन्होने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।
4. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से (10+2) इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं। दसवीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा पांच विषय हों।
5. स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं / विषयो में प्रवेश निर्धारित सीटों पर ही होगा।
6. संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व संस्था के प्राचार्य का तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी, लोकसभा / विधानसभा के सदस्य अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य / नियंन्ता द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया जा चुका है। स्तानक द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थी अन्य तीन विषयों के साथ पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगें, जो उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
8. प्रवेश आवेदन–पत्र पर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) तथा चरित्र प्रमाण–पत्र (CC) मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को एक माह के अन्दर प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जमा करना आवश्यक है, अन्यथा अस्थाई प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

9. ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात निर्धारित समय पर अभ्यर्थी को प्रवेश समिति/प्राचार्य के समक्ष मूल प्रमाण पत्रों सहित स्वंय उपस्थित होना होगा, ताकि उसके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

10. अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी कक्षा एवम् संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इस विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र अथवा ड्राप–आउट छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ड्राप–आउट से तात्पर्य है कि छात्र द्वारा विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र अध्ययन किया हो परीक्षा आवेदन–पत्र भरा हो, और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मलित न हुआ हों।

11. स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों का अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर या अन्य वैध कारण पर केवल एक बार संकाय बदलकर प्रवेश दिया जा सकता है प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/प्रवजन प्रमाण पत्र एवम् चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर छः (6) वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर चार (4) वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा। यह नियम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा अर्थात व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र उक्त अवधि के पश्चात भी अध्ययनरत रह सकते है। केवल वे ही छात्र भूतपूर्व छात्र का लाभ ले सकेगें जिन्होनें पूरे समय अध्ययन किया हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक दिया गया हो और वह चिकित्सा के आधार पर आवेदन करता है।

13. जिन छात्रों की गतिविधियां शास्तामण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है, अथवा निकाला जा सकता है या उन का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

14. संकाय अथवा विषय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी परीक्षा छात्र एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उसी कक्षा/दूसरे संकाय में प्रवेश नही ंदिया जायेगा। उदाहरणार्थ– यदि किसी छात्र ने एम0ए0 अर्थशास्त्र उत्तीर्ण कर लिया हो तो उसे कला संकाय के किसी अन्य विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, और न ही वह किसी संकाय की समकक्ष कक्षा में प्रवेश ले सकता है।

15. नियमानुसार अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नही दिया जायेगा।

16. प्रवेश के अन्तिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेगें।

17. छात्र/छात्रा के शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र में भी आंवटित विषय का उल्लेख किया जायेगा।

18. जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश समिति/संकायाध्यक्ष/प्राचार्य प्रवेश प्रदान करेगें उनकी सूचना समय–समय पर सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों को दी जायेगी, इन्हीं सूचियों के आधार पर विभिन्न विभागों की छात्र उपस्थिति पंजिका में छात्र/छात्राओं के नाम पंजीकृत किये जायेगें।

19. संस्थागत छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा, और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मलित होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मलित होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।

20. यदि किसी छात्र ने बी0कॉम/बी0ए0 प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की है और द्वितीय/तृतीय वर्ष में संस्थागत रूप से प्रवेश लेना चाहता है तो उसके लिए बी0कॉम/बी0ए0 प्रथम/द्वितीय वर्ष में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। इसी प्रकार एम0कॉम/एम0ए0 के लिए भी व्यक्तिगत प्रथम वर्ष में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

21. उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

22. कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को प्रवेश तिथि में तीस दिनों के छूट के साथ–साथ न्यूनतम निर्धारित अंको के प्रतिशत में भी 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।

23. रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की गई है। रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा और वह कानूनी कार्यवाही के दायरे में आ जाएगा। प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी यू0जी0सी0 की

वेबसाइट पर एंटी रैगिंग सम्बन्धी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में भी जमा करनी होगी।

24. अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वर्ष तक का अन्तराल हो और वह प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन करता है तो महाविद्यालय ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दे सकता है, परन्तु इस समय अन्तराल का शपथ–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र जमा करना होगा जिससे सक्षम अधिकारी संतुष्ट हो।
25. दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं मिलेगा यदि अभ्यर्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी है तो उस अवधि को गैप नहीं माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक 6 वर्ष तथा स्नातकोत्तर 4 वर्षो में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

योग्यता सूची का निर्धारण एवं प्रवेश से सम्बन्धित नियम

इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत में निम्नानुसार अतिरिक्त अंकों को जोड़कर योग्यता सूची बनाई जायेगी तथा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जायेगा। तत्पश्चात् उपलब्ध स्थानों के प्रति योग्यता क्रम में (प्रवेश प्रक्रिया का नियम–2 भी पढ़ा जाये) प्रवेश दिया जायेगा।

1. गढ़वाल मण्डल के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 05 अंक अतिरिक्त तथा टिहरी जिले से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने पर कुल 08 अंक (05+03 अतिरिक्त अंक) दिये जायेंगें।
2. इण्डैक्स ज्ञात करने हेतु अभ्यर्थियों को नियमानुसार निम्न अतिरिक्त अंक देय होंगे।

a. राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर	07 अंक
b. राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने पर	05 अंक
c. स्काउट गाइड राष्ट्रपति प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी	02 अंक
स्काउट में जी–1 धारक को –	01 अंक
जी–2 धारक को	02 अंक
ध्रुव पद/ध्रुव धारक–	02 अंक
d. एन.सी.सी. बी. प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी–	03 अंक
एन.सी.सी. सी. प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी–	05 अंक
e. एन.एस.एस. ए. प्रमाण–पत्र –	02 अंक,
बी.–प्रमाणपत्र–	03 अंक,
सी. प्रमाणपत्र –	05 अंक

(प्रतिबन्ध यह होगा कि a, b, c, d तथा e के लिए अधिकतम 07 अंक देय होंगे)।

3. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों, भूतपूर्व/कार्यरत् सैनिकों एवं केन्द्रीय मन्त्रालयों के अधीन अर्द्ध सैनिक बलों के आश्रितों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री) को 03 अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।
   टिप्पणी :–समान सूचकांक होने की स्थिति में प्रथम श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमन्य होगा।
4. इस महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) को 05 अतिरिक्त अंक देय होंगे।
5. गैप के लिए 05 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से योग्यता सूचकांक में से अधिकतम 10 अंक घटाये जायेंगे। शैक्षिक योग्यता, खेलकूद, एन0सी0सी0 आदि में उपलब्धियों के आधार पर योग्यता सूची बनाई जायेगी और अभ्यर्थियों को प्रवेश सूची में योग्यता क्रम दिया जाएगा। अधिकतम देय वरीयता अंक 12 ही होंगे।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु विशेष नियम

स्नातकोत्तर में प्रवेशार्थ न्यनूतम अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय से सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक डिग्री होगी। स्नातकोत्तर कक्षाओं (एम.ए./एम.कॉम./एम.एस.सी) में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर न्यूनतम (बी.ए. 40 प्रतिशत तथा बी.कॉम. 45 प्रतिशत एवं बी.एस.सी. 45 प्रतिशत) प्राप्तांक आवश्यक है।

योग्यता सूची का निर्धारण एवं प्रवेश से सम्बन्धित नियम

1. एम0एस–सी0 पूर्वार्द्ध में प्रवेश हेतु बी0एस–सी0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (समस्त सेमेस्टर) की अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रतियाँ एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों की प्रतियाँ सूचकांक ज्ञात करने हेतु प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. आरक्षण नियमानुसार लागू होगा। (प्रवेश नियम 02 देखें)।
3. बी0एस–सी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम.ए./एम.एस.सी. भूगोल के लिए अर्ह नहीं होगा।
4. सम्पूर्ण स्थान योग्यता सूची (मेरिट) से भरे जायेंगे, जो निम्नांकित सूचकांक (Index) गणना के अधार पर निर्धारित किया जायेगा :–

$$Index = \frac{x + y}{X + Y} \times 100$$

(यहाँ x = स्नातक परीक्षा में तीनों वर्षों के कुल प्राप्तांकों का योग।
y= प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक की सैद्धान्तिक परीक्षा के तीनों वर्षों के प्राप्तांकों का योग।
X= स्नातक के तीनों वर्षों के पूर्णांकों का योग।
Y= प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक की सैद्धान्तिक परीक्षा के तीनों वर्षों के पूर्णांकों का योग।)

5. आवेदक ने यदि इस महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तो 05 अंक/गढ़वाल विश्वविद्यालय या श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड राज्य वि0वि0 से सम्बद्ध अन्य महाविद्यालय का स्नातक हो तो 03 अंक।
6. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी/भूतपूर्व अथवा कार्यरत सैनिक/अर्द्ध सैनिकबलों के आश्रितों (पति/पत्नी/पुत्र/पौत्र/ पौत्री) के लिए 02 अंक।
7. (क) राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रवेशार्थी को 07 अंक।
   (ख) अन्तर विश्वविद्यालय/राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले आवेदक को 05 अंक।
   (ग) विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व को 02 अंक।
8. एन.सी.सी. बी. प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी– 03 अंक
   एन.सी.सी. सी. प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी– 05 अंक
9. एन.एस.एस. ए. प्रमाण–पत्र – 02 अंक,
   बी.–प्रमाणपत्र– 03 अंक,
   सी. प्रमाणपत्र – 05 अंक
10. साक्षरता अभियान में कार्यरत् छात्र के विद्यालय के प्रमाणपत्र पर 01 अंक देय होगा।
    (प्रतिबन्ध यह होगा कि 7, 8, 9 एवं 10 में कुल मिलाकर 07 से अधिक अंक देय नहीं होंगे।)
11. इस महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) को 05 अतिरिक्त अंक देय होंगे।
12. गैप के लिए 05 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से योग्यता सूचकांक में से अधिकतम 10 अंक घटाये जायेंगे। शैक्षिक योग्यता, खेलकूद, एन0सी0सी0 आदि में उपलब्धियों के आधार पर योग्यता सूची बनाई जायेगी और अभ्यर्थियों को प्रवेश सूची में योग्यता क्रम दिया जाएगा। अधिकतम देय वरीयता अंक 12 ही होंगे।

महाविद्यालय में सीटों का निर्धारण

महाविद्यालय में कक्षा एवं विषयवार सीटों का निर्धारण निम्नवत् है।

क्र0सं0	कक्षा	विषय	प्रत्येक विषय में सीटें
1	बी0ए0 प्रथम वर्ष	हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, गणित, सैन्य विज्ञान, मानव विज्ञान, साख्यिकी,	80
2	एम0ए0 प्रथम सेमेस्टर	हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, साख्यिकी	30
3	एम0ए0 प्रथम सेमेस्टर	भूगोल, गृहविज्ञान, सैन्य विज्ञान, मानव विज्ञान	20
4	बी0एस0सी0 (गणित संवर्ग) प्रथम वर्ष	भौतिक विज्ञान, गणित	80
5	बी0एस0सी0 (प्राणी विज्ञान संवर्ग) प्रथम वर्ष	जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान	80
6	बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष	रसायन विज्ञान	160
7	बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष	साख्यिकी, भूगर्भ, मानव विज्ञान, सैन्य विज्ञान	60
8	एम0एस0सी0 प्रथम सेमेस्टर	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, साख्यिकी, भूगर्भ विज्ञान, मानव विज्ञान, सैन्य विज्ञान,	20
9	एम0एस0सी0 प्रथम सेमेस्टर	गणित	30
10	बी0कॉम0 प्रथम वर्ष		80
11	एम0कॉम0 प्रथम सेमेस्टर		30

विश्वविद्यालय के पत्रांक मान्यता/4042 दिनांक 23.07.2015 के अनुसार स्वीकृत।

नोटः— कक्षाओं में आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा। आर्थिक रूप से निम्न आय वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये प्रत्येक विषय में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिये 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित होने से सीटों को संशोधित विवरण निम्न प्रकार से होगाः

80 सीटों वाले विषयों में =80 + 09 = 89

60 सीटों वाले विषयों में =60 + 07 = 67

30 सीटों वाले विषयों में =30 + 03 = 33

20 सीटों वाले विषयों में =20 + 02 = 22

विज्ञान संकाय (Faculty of Science)

बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी नियम

बी0एस–सी0 प्रथमवर्ष में प्रवेशार्थियों को निम्न संवर्गो में से वही संवर्ग देय होगा जिस संवर्ग से उसने इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अर्थात गणित संवर्ग (गणित, रसायन, भौतिक) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को गणित संवर्ग तथा प्राणी विज्ञान संवर्ग (वनस्पति, रसायन, जन्तु) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्राणी विज्ञान संवर्ग के विषय अनुवर्ग ही अनुमन्य होगें। अभ्यर्थी वरीयता क्रम में अपने संवर्ग में तीन विषय, प्रवेश आवेदन–पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र पर अंकित करेंगे। प्रवेश समिति द्वारा आवंटित अनुवर्ग विषय अन्तिम और अपरिवर्तनीय होगा।

निम्न अनुवर्ग यहां उपलब्ध विषयों के अनुरूप लागू होगें।

गणित संवर्ग

- भौतिकी–गणित–रसायन
- भौतिकी–गणित–सांख्यिकी
- भौतिकी–गणित–भू–विज्ञान
- भौतिकी–गणित–रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन

प्राणि विज्ञान संवर्ग

- वनस्पति–जन्तु–रसायन
- वनस्पति–जन्तु विज्ञान–रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन
- वनस्पति–जन्तु विज्ञान–मानव विज्ञान
- वनस्पति–जन्तु विज्ञान–भू विज्ञान

नोट– बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष के छा़त्र/छात्रायें उपरोक्त विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन प्राथमिकता के आधार पर करेंगें। ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय प्रवेशार्थी आवेदन पत्र में विषय संयोजन की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता स्पष्ट रूप से भरेंगे। विषय सम्बन्धी अस्पष्टता के मामले में विषय संयोजन आवंटित करने का अन्तिम अधिकार महाविद्यालय प्राचार्य/प्रवेश समिति को होगा।

कला संकाय (Faculty of Art)

बी0ए0 प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी निर्देशः

1. बी0ए0 प्रथम वर्ष में छात्र को तीन विषयो में प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. कोई भी छात्र हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में से कोई दो विषय चुन सकता है।
3. कोई भी छात्र मात्र दो प्रायोगिक विषयों का चयन कर सकता है किन्तु :
   (i) गृह विज्ञान के साथ गणित का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (ii) संस्कृत के साथ मानव विज्ञान का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (iii) मानव विज्ञान के साथ संस्कृत एवं गृह विज्ञान का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (iv) अर्थशास्त्र के साथ मानव विज्ञान का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (v) भूगोल के साथ इतिहास तथा मानव विज्ञान का चयन नहीं किया जा सकता है।
4. केवल वे छात्र भूगोल का अध्ययन कर सकते है जिन्होनें इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा भूगोल के साथ अथवा विज्ञान संवर्ग जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण की हो।

5. केवल वे छात्र गणित का अध्ययन कर सकते है जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा कला अथवा विज्ञान वर्गान्तर्गत गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।
6. रक्षा एवं स्त्रांतेजिक अध्ययन विषय का अध्ययन इण्टरमीडिएट विज्ञान/कला/वाणिज्य अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र कर सकते है।
7. गणित के साथ मात्र सांख्यिकी, अर्थशास्त्र तथा भूगोल विषय ही लिये जा सकते है।
8. हिन्दी के साथ संस्कृत को प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि उत्तराखण्ड में प्रतियोगिता परीक्षा हेतु यह संयोजन प्रायः मांगा जाता है।

विषय संयोजन निम्नलिखित प्रकार से हैं:–

1 हिन्दी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान

2 हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र

3 हिन्दी, सैन्य विज्ञान, समाजशास्त्र

4 राजनीति विज्ञान , भूगोल, अर्थशास्त्र

5 राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र

6 अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र

7 हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास

8 गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास

9 मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, अंग्रेजी

10 सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी

11 सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र

12 राजनीति विज्ञान, इतिहास, सैन्य विज्ञान

13 हिन्दी, गृह विज्ञान, भूगोल

बी0ए0 प्रथम वर्ष के छा़त्र/छात्रायें उपरोक्त विषय संयोजनों में से किन्हीं तीन विषय संयोजनों का चयन प्राथमिकता के आधार पर करेंगें। ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय प्रवेशार्थी आवेदन पत्र में विषय संयोजन की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता स्पष्ट रूप से भरेंगे।

वाणिज्य संकाय **(Faculty of Commerce)**

वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु नियम :–

(क) बी.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट में 40 प्रतिशत अंकों का होना आवश्यक ऐसे छात्र/छात्राओं, जिनका इण्टर में वाणिज्य विषय नहीं रहा है, को बी.कॉम. में एक अतिरिक्त ''पुस्तपालन एवं लेखाकर्म'' (Elementary Book Keeping) आवश्यक रूप से लेना एवं उत्तीर्ण करना होगा।

(ख) एम.कॉम. पूर्वार्द्ध में उन्हीं अभ्यर्थियों के प्रवेश पर विचार किया जायेगा, जिन्होंने बी.कॉम. परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा बी.ए./बी.एस.सी. परीक्षा अर्थशास्त्र या गणित से उत्तीर्ण की है। जिन अभ्यर्थियों ने इण्टर अथवा स्नातक परीक्षा वाणिज्य विषयों के साथ उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें अर्ह पाठ्यक्रम के रूप में एम.कॉम. पूर्वार्द्ध में प्रारम्भिक पुस्तपालन एवं लेखाकार्य आवश्यक रूप से लेना होगा एवं उत्तीर्ण करना होगा।

(ग) स्नातकोत्तर स्तर (एम0कॉम) पर संस्थागत प्रवेश हेतु बी0कॉम0 45 प्रतिशत एवं कला/विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

शुल्क विवरण

प्रवेशार्थियों को पूरे सत्र का शुल्क प्रवेश के समय देना होगा। शासनादेश संख्या 1734/15E/80/(11)/80 दिनांक 6–5–81 के अन्तर्गत शुल्क का विवरण निम्वत् है :–

क0सं0	शुल्क का प्रकार	स्नातक कक्षा	स्नातकोत्तर कक्षा
01	शिक्षण शुल्क	शून्य	180.00
02	महंगाई शुल्क	240.00	240.00
03	प्रयोगशाला शुल्क	240.00	240.00
04	विकास शुल्क	20.00	20.00
05	प्रवेश/पुनः प्रवेश शुल्क	3.00	3.00
06	पुस्तकालय शुल्क	3.00	10.00
07	क्रीड़ा शुल्क	300.00	300.00
08	*वाचनालय शुल्क*	*50.00*	*50.00*
09	विभागीय परिषद शुल्क	50.00	50.00
10	पत्रिका शुल्क	50.00	50.00
11	*महाविद्यालय दिवस*	*30.00*	*30.00*
12	निर्धन छात्र सहायताकोष	10.00	10.00
13	परिचय पत्र/पुस्तकालय	25.00	25.00
14	छात्र संघ	50.00	50.00
15	वि0वि0 नामांकन शुल्क	विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार	विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार
16	वि0वि0 परीक्षा शुल्क	विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार	विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार
17	विद्युत शुल्क	60.00	60.00
18	विविध शुल्क	100.00	100.00
19	प्रांगण विकास एवं सौन्दर्यीकरण	20.00	20.00
20	कांउसिलिंग शुल्क	30.00	30.00
21	कम्प्यूटर इण्टरनेट अनुरक्षण	70.00	70.00
22	प्रयोगशाला सामग्री शुल्क	60.00	60.00
23	उपाधि शुल्क	विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार	विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार
24	प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00
25	सांस्कृतिक परिषद	50.00	50.00
26	शोध शुल्क	विश्वविद्यालय नियमानुसार	विश्वविद्यालय नियमानुसार

शुल्क बैंक में जमा करने सम्बन्धी प्रावधान– शुल्कों का विवरण तथा जमा करने की तिथियाँ समय–समय पर महाविद्यालय सूचना पट्ट/ वेबसाइट (www.gpgcnewtehri.com) पर संसुचित की जायेंगी। शुल्क के सम्बन्ध में नवीनतम आदेश मान्य होंगे।

नोट :–

1. कोई भी विद्यार्थी नियत अवधि के अन्दर शुल्क जमा नहीं करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

वार्षिक / सेमेस्टर विवरण

उपस्थिति नियम **(Rules for Attendance)**

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर वार्षिक एवं स्नात्तकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम लागू है। शासनादेश संख्या–528(1)15–(उच्च शिक्षा)71/97, दिनांक– 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में पृथक–पृथक 75% उपस्थिति पूरी नहीं करता। विज्ञान अथवा ऐसे अन्य विषयों जिनमें प्रयोगात्मक विषय है शिक्षण कार्य अवधि में 75% उपस्थिति अपेक्षित होगी। कोई भी विद्यार्थी 15 दिन से अधिक अवधि से लगातार अनुपस्थित रहता है और अपनी अनुपस्थिति का सन्तोषजनक कारण नहीं बता पाता है तो उसका प्रवेष निरस्त कर दिया जाएगा।

निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में व्याख्यान और सेमिनार/प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक–पृथक 6% तक की छूट संकायाध्यक्ष (डीन)/प्राचार्य द्वारा तथा 9% छूट मा0 कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1. (अ) विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी में कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया हो या
   (ब) इसी के समकक्ष किसी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित कारण देने पर।
2. विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर स्नातक छात्र को विशेष अध्ययन के निमित्त किसी अन्य विश्वविद्यालय, संस्थान तथा उच्च अध्ययन के लिए किसी केन्द्र में व्याख्यान, प्रयोगात्मक कार्य के लिए कुलपति द्वारा 6 सप्ताह तक की अवधि की अनुमति दिये जाने पर कुलपति द्वारा उपस्थिति न्यूनता का मार्जन किया जा सकेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय में अपनी उपस्थिति सूचित करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थी को उस संस्थान के, जहॉ उस विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, अध्ययन कक्षाओं में उपस्थिति, प्रयोगात्मक कार्य, पुस्तकालय में कार्य करने की तिथियों के निर्देश सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित खेलकूद के समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए साक्षात्कार के निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनतामार्जन कर दिया जायेगा, बशर्ते सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

नोटः– बी0ए0/बी0एससी0/बी0कॉम/एम0ए0/एम0एससी0/एम0कॉम तथा डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में उपस्थिति प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि से गिनी जायेगी।

आचार संहिता
समस्त छात्रों पर लागू होने वाली आचार संहिता निम्नवत् है

खण्ड–1

छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार पर अंकुशः

छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा दो या अधिक छात्रों अथवा व्यक्तियों के समूह में कृत निम्नलिखित गतिविधियां अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार समझा जायेगा।

1. महाविद्यालय में किसी शिक्षक, कर्मचारी किसी अभिकरण इकाई अथवा अन्य निकाय के सदस्य, शिक्षणेत्तर कर्मचारी अथवा ऐसे किसी संस्थान अथवा इकाई के छात्र अथवा किसी प्रशासनिक या शैक्षणिक कार्य हेतु परिसर में किसी आगन्तुक पर शारीरिक प्रहार, शारीरिक बल प्रयोग की धमकी अथवा कोई अन्य धमकाने वाला व्यवहार।
2. किसी भी रूप में महाविद्यालय तंत्र के किसी संस्थान अथवा संस्थान की इकाई में शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक कार्यो, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं के कार्य कलापों, प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक कार्यो में किसी भी प्रकार से बाधा पहुँचाना।
3. विशेष निर्णय जिन पर महाविद्यालय के सन्दर्भ में नियन्ता अथवा अन्य संस्थानों के सन्दर्भ में सम्बन्धित संस्थान में अनुशासन निर्वहन हेतु उत्तरदायी अधिकारी की अनुमति के बिना महाविद्यालय के परिसर में लाउड स्पीकरों अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।
4. महाविद्यालय अथवा एक से अधिक संस्थानों या किसी संस्थान की इकाई द्वारा अपने परिसर में या अन्य आयोजित किसी शैक्षिक परिभ्रमण अथवा शिक्षण, शिक्षणेत्तर अथवा साहित्यिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य समकक्ष कार्यक्रम में अनुचित व्यवहार।
5. उपखण्ड 4 में उल्लिखित किसी कार्यक्रम के रैफरियों, एम्पायरों या निर्णायकों के निर्णय का अनुपालन न करना अथवा विरोध करना।
6. महाविद्यालय से सम्बन्धित किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाले कृत्य व वक्तव्य अथवा किसी साहित्य या दस्तावेज जिनमें पत्रावलियां, पंपलेट, पोस्टर, प्रेस अधिसूचनायें आदि सम्मिलित है का प्रदर्शन एवं वितरण।
7. आपत्तिजनक वस्तुओं एवं पदार्थो का रखना एवं वितरण।
8. ऐसा कोई कृत्य जो व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह मध्य के मनमुटाव अथवा धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय अथवा भाषायी आधार पर असहिष्णुता उत्पन्न करता हो अथवा उसका कारण बन सकता हो।
9. कोई कृत्य जो विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों अथवा उपनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों की अवहेलना करता हो।
10. किसी शस्त्र के रखने प्रदर्शन करने अथवा उससे धमकाना।
11. कोई कृत्य जो अन्य व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को प्रभावित करता हो अथवा अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता हो अथवा शारीरिक हिंसा करता हो अथवा अभद्र भाषा प्रयोग हो।
12. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 की अवहेलना।
13. अनुसूचितजाति एवं अनुसूचितजनजातियों से सम्बन्धित छात्रों की प्रतिष्ठा अथवा सम्मान की कोई अवहेलना।
14. महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार युक्त अथवा यौन उत्पीड़न का भान कराने वाला कोई मौखिक अथवा अन्य कृत्य या व्यवहार।
15. मिथ्या कथन अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।
16. किसी भी रूप में रिश्वत् देने का कोई प्रयास अथवा कोई अन्य भ्रष्ट आचरण।
17. कोई ऐसा कृत्य जो महाविद्यालय की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाता हो अथवा उसे नष्ट करता हो अथवा उसके मूल रूप को भ्रष्ट करता हों।
18. कोई कृत्य जो निषिद्ध भवनों अथवा क्षेत्रों में अनाधिकृत उपस्थिति अथवा प्रवेश या उल्लंघन सदृश्य हो तथा महाविद्यालय इकाई के भवनों पर कब्जा।
19. ऐसा कोई कृत्य जो महाविद्यालय के कार्य कलापों में किसी वाह्य व्यक्ति अथवा संस्था या प्राधिकारी के हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करता हो अथवा उसका आशय रखता हों।
20. अनाधिकृत कोष संग्रह।

21. मदिरा अथवा अन्य मादक द्रव्य रखने, वितरित करने अथवा सेवन करने या सेवन करने के उपरान्त महाविद्यालय में प्रविष्ट होना।
22. नैतिक अधमता सदृश्य कोई कृत्य।
23. कोई अन्य कृत्य जो महाविद्यालय के अधिकारियों अथवा कार्य करने के अभिमत में एक छात्र के रूप में अनुचित हों।
24. खण्ड–2 में पारिभाषित रैगिंग करने सम्बन्धी अथवा उस में लिप्त होने सम्बन्धी कोई कृत्य।
25. छात्रों को परिसर में मोबाईल फोन अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक यंत्र पर संगीत सुनना अथवा कोई दृश्य सामाग्री देखना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।

खण्ड–2
रैगिंग से सम्बन्धितः

महाविद्यालय ने रैगिंग की समस्या के नियंत्रण हेतु यू0जी0सी0 के नियम अपने परिसर में रैगिंग की प्रभावशाली रोकथाम हेतु महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश 2009 मार्च तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या–310/04/एस0आई0ए0, दिनांक– 26 फरवरी, 2009 तथा 17 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित प्रावधान किये है,

1. रैगिंग से अभिप्राय हैः
   Any disorderly conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student, indulging in rowdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such student will not in the ordinary course and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student. Any of the above acts committed by any student of the same or junior or senior class shall br deemed to be ragging.

2. रैगिंग से सम्बन्धित गतिविधिः
   - रैगिंग करने के लिए उकसाना।
   - रैगिंग करने के लिए अपराध षड़यंत्र।
   - रैगिंग हेतु गैर कानूनी सभा एवं दंगा करना।
   - रैगिंग के दौरान सार्वजनिक उपद्रव करना।
   - रैगिंग के माध्यम से शालीनता एवं नैतिकता का उल्लंघन।
   - रैगिंग शारीरिक नुकसान एवं गम्भीर चोट।
   - अनुचित रूप से अथवा प्रतिबन्धित करना।
   - अनुचित रूप से बंधक बनाना।
   - अपराधिक बल का प्रयोग करना।
   - साथ ही आक्रमण अथवा यौन अपराध या अप्राकृतिक अपराध।
   - जबरन वसूली।
   - अपराधिक अतिक्रमण।
   - सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध।
   - अपराधिक रूप से धमकाना।
   - रैगिंग के शिकार अथवा शिकारों में उपरोक्त में से किसी अथवा सभी कृत्यों को करने का प्रयास।

- रैगिंग की परिभाषा से जनित समस्त अपराध।

3. रैगिंग से सम्बन्धित दण्डः

संस्था की रैगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गये व्यक्तियों को दिये दण्ड निम्न में कोई एक अथवा उसका समूह हो सकता है,

- प्रवेश निरस्त किया जाना।
- कक्षा से निलम्बन।
- छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।
- किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
- परीक्षा परिणाम रोकना।
- संस्था से एक से चार सेमेस्टर (दो वर्ष की) अवधि हेतु निष्कासन।
- संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरानत अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना।
- रू0 25 हजार का जुर्माना।
- जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाय तब सम्भावित रैगिंग कर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

खण्ड–3

पहचान की स्थापना एवं चरित्र का प्रमाणीकरणः

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र को शास्ता कार्यालय द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया जायेगा। किसी छात्र को जारी पहचान पत्र को ही उसके महाविद्यालय का छात्र होने का एकमात्र प्रमाण माना जायेगा। शास्ता मण्डल के किसी सदस्य के मांगने पर प्रत्येक छात्र को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मांगे जाने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करने में किसी छात्र के असमर्थ रहने की स्थिति में उसे अनाधिकृत प्रवेशकर्ता माना जायेगा एवं उसके विरूद्ध (महाविद्यालय के नियमों के अधीन) कार्यवाही की जयेगी। पहचान पत्र खो जाने की सूचना शास्ता कार्यालय को देना होगा तथा शास्ता कार्यालय से इस आशय का आवेदन प्रवेश शुल्क की रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुये तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि पहचान पत्र शास्ता कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
2. मांग करने पर छात्रों को चरित्र प्रमाण पत्र प्राचार्य द्वारा जारी किया जाता है। लिखित आवेदन करके निर्धारित शुल्क जमा करने पर छात्रों को जितनी बार आवश्यकता हो चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। परन्तु जिन छात्रों को ब्लैक लिस्ट किया गया हो अथवा जिन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो अथवा रैगिंग में लिप्त पाया गया हो उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु विशेष प्राविधानः

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं तदोपरान्त जारी शासन व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यह प्रकोष्ठ जिसमें प्रमुख रूप से महिला सदस्य सम्मिलित हैं, परिसर में महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना का संज्ञान लेता है।

शपथ पत्र का प्रारूप (केवल छात्र/छात्रा द्वारा भरा जायेगा)

1. मैं...पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती..ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशेंको भलीभांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
3. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ–
   - मैं ऐसे किसी कृत्य व्यवहार में सम्मिलित नहीं होऊँगा/होऊँगी जो रैगिंग के परिभाषा के अन्तर्गत आता हो।
   - मैं किसी भी रूप में रैंगिक में लिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी, उसको प्रोत्साहित अथवा प्रचारित नहीं करूँगा/करूँगी।
   - मै किसी को भी शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करूँगा/करूँगी, अथवा कोई अन्य क्षति नहीं पहुचाऊँगा/पहुचाऊँगी।

हस्ताक्षर.. दिन...................................माह......................................वर्ष...

नाम व पता

हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

माता/पिता/अभिभावक का शपथ पत्र प्रारूप

1. मैं ....पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती..................................ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है।
2. मैं विश्वास दिलाता/दिलाती हुँ कि मेरा पुत्र/पुत्री/संरक्षित रैगिंग के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा।
3. मैं सहमति देता/देती हूँ कि यदि उसे रैगिंग मे लिप्त पाया गया तो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विरूद्ध एवं तत्समय लागू विधि व्यवस्था के अधीन दण्डित किया जाय।

हस्ताक्षर...दिन....................................माह...वर्ष.................................

नाम व पता

हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

या

विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एन्टीरैगिंग शपथ पत्र हेतु www.amanmovement.org लॉगऑन करें तथा समस्त प्रविष्टियां ऑनलाइन पूर्ण करने के पश्चात उपलब्ध फार्म को प्रिंट करके अपने तथा अपने अभिभावक के अलग–अलग फार्म पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त प्रवेश के समय इस शपथ पत्र को जमा करें।

सुविधाएँ

1. पुस्तकीय सुविधाएँ :—

(क) पुस्तकालय :—

महाविद्यालय पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वाहन 10 बजे से अपराहन 5 बजे तक खुला रहता है। छात्र/छात्राओं को 11.00 बजे पूर्वाहन से 03.00 बजे अपराहन तक पुस्तकें निर्गत की जाती हैं। पुस्तकें प्राप्त करते समय विद्यार्थियों को स्वयं अपना पुस्तकालय पत्रक प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना कोई पुस्तक निर्गत नहीं की जाएगी। पत्रक सुरक्षा की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की होगी। पुस्तकें फटने, गन्दी हो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में सम्बन्धित विद्यार्थी को पुस्तक का मूल्य जमा करना होगा। विद्यार्थी को निर्गत पुस्तकें परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व लौटानी होगी।

(ख) बुक बैंक :—

महाविद्यालय में बुक–बैंक की भी व्यवस्था है। निर्धन छात्रों के लिए बुक–बैंक योजना के अन्तर्गत पूरे सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें निर्गत की जाती हैं। निर्गत की गयी पुस्तकों के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत अनुरक्षण–शुल्क छात्र से लिया जाता है। परीक्षा से पूर्व सभी पुस्तकें सही हालत में वापस करनी होती हैं। छतिग्रस्त अथवा खोई पुस्तकों के लिए छात्र को पुस्तक का मूल्य जमा कराना होता है। इन पुस्तकों की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी को पुस्तकालय से सम्पर्क करना होगा।

2. आर्थिक सुविधाएँ :—

(क) **छात्रवृत्ति सुविधाएँ :—**

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को जो प्रमुख छात्रवृत्तियाँ एवं अनुदान प्राप्त हो सकते हैं, उनका विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे निम्नांकित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर और निर्धारित विवरणानुसार महाविद्यालय में समय–समय पर प्रचलित सूचनाओं के आधार पर छात्रवृत्तियाँ एवं अनुदानों को प्राप्त करने के लिए आवेदन करें।

1. असेवित क्षेत्र छात्रवृत्तियाँ।

   अनुसूचितजाति/जनजाति/पिछड़ीजाति/विकलांग छात्रों के लिये छात्रवृत्ति।

   इसके अतिरिक्त कुछ छात्रवृत्तियाँ विश्वविद्यालय स्तर से प्रदान की जाती है।

   विशेष :—

1. समय–समय पर उक्त छात्रवृत्तियों की दरों व अन्य नियमों में परिवर्तन होते रहते हैं। अन्तः छात्रों को महाविद्यालय कार्यालय तथा प्रभारी प्राध्यापक से सम्पर्क बनाये रखना चाहिये।
2. सभी प्रार्थना पत्र प्राचार्य द्वारा अग्रसारित किये जाते हैं।
3. छात्रवृत्ति पाने वाले अभ्यर्थी की उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत प्रति माह होना आवश्यक है।
4. नियमानुसार छात्र/छात्राओं को एक ही प्रकार की आर्थिक सहायता मिलती है।

(ख) **निर्धन छात्र कोष** :—निर्धन छात्रों को इस कोष से सहायता दी जाती है।

3. उपचारात्मक सुविधाएँ :–

(क) कोचिंग कक्षाऐं :–

एस.सी. / एस.टी. एवं ओ.बी.सी. छात्र / छात्राओं के लिये महाविद्यालय में यू.जी.सी. के सहयोग से प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस सुविधा का लाभ अवश्य उठायें।

(ख) उपचारात्मक कक्षाऐं :–

अनुसूचितजाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु उपचारात्मक शिक्षण (रिमेडियल कोचिंग) सत्र– 2011–12, से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से शुरु किया है, महाविद्यालय के शिक्षकों को इसके निष्पादन का कार्य सौंपा गया है।

(ग) कैरियर काउन्सिलिंग :–

छात्रों को रोजगारपरक मार्ग दर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में कैरियर काउन्सिलिंग सेल की स्थापना की गयी है। इस सेवा के अन्तर्गत छात्रों को विषय चयन हेतु मार्ग दर्शन एवं चयनित विषयों की रोजगार सम्भावनाओं के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। छात्रों से अपेक्षा है कि वह इस सेवा का समुचित लाभ प्राप्त करें।

4. पाठ्येतर व्यक्तित्व–निर्माण सम्बन्धी गतिविधियाँ :–

(क) छात्र संघ :

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश संख्या S.L.P (Civil) No. 24295/2004/दिनांक 24.06.2004 जो अपर महाअधिवक्ता भारत सरकार के पत्र संख्या– 4240 दिनांक 23.10.2006 द्वारा अधिसूचित एवं उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 184 / xxiv(6)2007–3(168) / 2001 दिनांक 27.02.2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय पर लागू करने के सम्बन्ध में प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 24.04.2007 द्वारा नियमों के आधार छात्र संघ के चुनाव सम्पन्न होंगे।

प्रत्येक वर्ष सत्र प्रारम्भ की तिथि से 6 सप्ताह के अन्तर्गत संस्था स्तर पर छात्र संघ चुनाव कराना आवश्यक होगा, सभी स्तरों के छात्र निकायों पर स्नातक कक्षाओं तक 17 से 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं तक 17 से 25 वर्ष की आयु सीमा लागू होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रत्याशी पदाधिकारी निर्वाचित होने हेतु केवल एक बार तथा कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित होने हेतु दोबारा चुनाव लड़ सकेगा। निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर करवाया जाना अनिवार्य होगा।

आचार संहिता, तय सीमा एवं समस्त व्यवस्थायें लिंगदोह समिति / उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार होंगी, साथ ही छात्र–संघ आचार संहिता एवं नियमावली का उल्लंघन करने वाले छात्र प्रतिनिधियों को पदच्युत भी किया जा सकेगा। उपरोक्त के साथ–साथ विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(ख) खेलकूद / क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ :–

महाविद्यालय में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ–साथ शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें समस्त छात्र / छात्राओं के लिए खेलों में भाग लेने का प्रावधान है। प्रतिवर्ष श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय क्रीड़ा कैलेण्डर के माध्यम से विभिन्न खेलों का कार्यक्रम तथा अन्य उपयोगी कार्यक्रम घोषित करता है। विश्वविद्यालय में होने वाले लगभग सभी खेल महाविद्यालय भी संचालित करता है। विभिन्न टीमों में खिलाड़ियों का चयन एक चयन प्रकिया के तहत किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) :–

इसके अन्तर्गत समाज के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे श्रमदान, पर्यावरण सम्वर्धन सम्बन्धी कार्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता सम्बन्धी कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण सम्बन्धी कार्य, प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्य सम्पादित किये जाते हैं। वर्तमान में एन.एस.एस. में प्रवेश स्थान 300 हैं।

(घ) नेशनल कैडेट कोर (NCC) :–

यूनिट खुलवाने/संचालन हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

(ङ) सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ :–

महाविद्यालय में प्रतिवर्ष अन्तर संकाय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें समूह गीत, एकलगीत, लोकगीत, लोकनृत्य, एकलनृत्य, कब्बाली, एकांकी, रंगोली, मेंहदी आदि प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं।

(च) विभागीय परिषद् :–

प्रत्येक विभाग में एक विभागीय परिषद् होती है और उस विभाग के समस्त छात्र/छात्राएँ परिषद् के सदस्य होते हैं। विभागीय परिषद् के तत्वावधान में निबन्ध व वाद–विवाद प्रतियोगिता, विचारगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य उपयोगी कार्य–कलाप संचालित किये जाते हैं।

(छ) महाविद्यालय पत्रिका :–

छात्र–छात्राओं की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने हेतु महाविद्यालय की पत्रिका ''अभिव्यक्ति'' का प्रकाशन समय–समय पर किया जाता है।

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य :– डॉ0 रेणू नेगी   दूरभाष :– 01376–234964

क0 सं0	कला संकाय	क0 सं0	विज्ञान संकाय
1	**हिन्दी :** 1. **डॉ0 संजीव सिंह नेगी (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क– 9412983612)** 2. डॉ0 मीरा कुमारी (असि0 प्रो0) 3. सुश्री अंकिता वोरा (असि0 प्रो0)	1	**भौतिकविज्ञान :** 1. **डॉ0 कुलदीप सिंह (एसो0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क– 9412079546)** 2. डॉ0 गुरुपद सिंह गुसांई (असि0प्रो0) 3. डॉ0 अजय बहुगुणा (असि0प्रो0)
2	**अंग्रेजी :** 1. **डॉ0 निशान्त भट्ट (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क– 9410955400)** 2. डॉ0 प्रीतम सिंह (असि0प्रो0) 3. डॉ0 अशोक जोशी (गेस्ट फैकल्टी)	2	**रसायन विज्ञान :** 1. **डॉ0 अरविन्द मोहन पैन्यूली (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क– 9412008180)** 2. डॉ0 नवीन सिंह रावत (असि0प्रो0) 3. सुश्री साक्षी शुक्ला (असि0प्रो0)
3	**संस्कृत :** 1. **डॉ0 इन्दिरा जुगरान (एसो0प्रो0 / विभाग प्रभारी)(सम्पर्क– 9068549734)**	3	**गणित:** 1. **डॉ0 सन्दीप कुमार (असि0 प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क– 9412141411)** 2. श्री सुभाष चन्द्र नौटियाल (असि0प्रो0) 3. सुश्री माधुरी कोहली (असि0प्रो0)
4	**इतिहास :** 1. **डॉ0 सुशील कुमार कगड़ियाल (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क– 9410519191)** 2. डॉ0 अरविन्द सिंह रावत (असि0 प्रो0)	4	**जन्तु विज्ञान :** 1. **डॉ0 कविता काला (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी)(सम्पर्क– 9410519191)** 2. डॉ वी0पी0 सेमवाल (असि0 प्रो0) 3. डॉ0 पद्मावशिष्ट (असि0 प्रो0)
5	**राजनीति शास्त्र :** 1. **डॉ0 दिनेश कुमार, (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क– 9410190343)** 2. डॉ0 मीनाक्षी शर्मा (असि0 प्रो0)	5	**वनस्पति विज्ञान :** 1. **डॉ0 आशा डोभाल (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क– 9410966900)** 2. डॉ0 आरती खण्डूरी (असि0 प्रो0) 3. डॉ0 हेमलता बिष्ट (संविदा प्रवक्ता)
6	**समाज शास्त्र :–** 1. **डॉ0 मणिकान्त शाह, (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क– 9412924535)** 2. सुश्री श्रद्धा, (असि0प्रो0) 3. डॉ0 सोवन सिंह (असि0प्रो0)	6	**भू विज्ञान :** 1. डॉ0 भक्तदर्शन सिंह नेगी (संविदा प्रवक्ता) **(सम्पर्क–9411154874)** 2. डॉ0 कामिनी पुरोहित(गेस्ट फैकल्टी)
7	**अर्थशास्त्र :–** 1. **डॉ0 हर्ष सिंह नेगी (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क– 9410967263)** 2. **डॉ पूजा रावत** 3. **श्री वैभव सिंह रावत**	7	**सैन्य विज्ञान:–** 1. **डॉ0 दीर्घपाल सिंह भण्डारी (एसो0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क– 9412921719)** 2. डॉ0 दीपेन्द्र सिंह तोपवाल (असि0प्रो0) 3. डॉ0 कमलेश पाण्डेय (गेस्ट फैकल्टी)
8	**भूगोल :–** 1. **डॉ0 जयेन्द्र सिंह सजवाण (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क– 9412149662)** 2. सुश्री रश्मि (असि0प्रो0)	8	**सांख्यिकी :–** 1. डॉ0 पुष्पा पंवार (गेस्ट फैकल्टी) (9412912452)

क्र0 सं0	कला संकाय	क्र0 सं0	विज्ञान संकाय
9	**गृहविज्ञान :–** 1. **डॉ0 प्रीति शर्मा (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क– 9997302578)** 2. श्रीमती पुष्पा कुमारी (असि0प्रो0)	9	**मानवविज्ञान :–** 1. **डॉ0 रजनी गुसांई (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क– 9412915637)** 2. डॉ0 पी0 सी0 पैन्यूली (असि0प्रो0) 3. डॉ0 के0 के0 बंगवाल (संविदा प्रवक्ता) 4. डॉ0 सुमन गुसांई (संविदा प्रवक्ता)
वाणिज्य संकाय :–			
(असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) 1. **डॉ0 मैत्रेयी थपलियाल (असि0 प्रो0 / विभाग प्रभारी)(सम्पर्क– 8077313693)** 2. डॉ0 सत्येन्द्र कुमार (असि0 प्रो0)		3. सुश्री ममता रावत (असि0 प्रो0) 4. डॉ0 भारती जायसवाल (असि0 प्रो0)	

कार्यालय :–

समूह "ख" — 1. श्री विजय सिंह पंवार (मुख्य प्रशासनिक अधिकरी)

समूह"ग" — 2. श्री फारूख अली (वैयक्तिक सहायक / आशुलिपिक)

3. श्रीमती रेखा कुकरेती (कनिष्ठ सहायक)

4. श्री आशुकुमार, कनिष्ठ सहायक (उपनल कर्मी)

लेखाकार :– 1. श्री शंकर कुमार (उपनल कर्मी)

इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिक :– 1. श्री अजयपाल सिंह रावत (उपनल कर्मी)

कार्यालय अनुसेवक :– समूह "घ" 1. श्री शैलेन्द भट्ट 2. श्री भगत सिंह 3. श्री कुलदीप सिंह चौहान

पुस्तकालय :–

1. श्री सतेन्द्र डोभाल (सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष)
2. श्रीमती नीलम नेगी, कैटलॉगर (उपनलकर्मी)
3. श्रीमती बीना देवी, पुस्तकालय सहायक (उपनल कर्मी)
4. श्री अनिल सिंह, पुस्तकालय सहायक (उपनल कर्मी)
5. श्रीमती लक्ष्मी देवी (पुस्तकालय अनुसेविका)

प्रयोगशाला रसायन विज्ञान : –

1. श्री प्रशान्त पंवार, प्रयोगशाला सहायक (उपनल कर्मी)
2. श्री हरीश मोहन नेगी, प्रयोगशाला सहायक (उपनल कर्मी)
3. श्री रवींद्र सिंह, अनुसेवक (उपनल कर्मी)

प्रयोगशाला गृह विज्ञान :–

1. श्रीमती सुनीता देवी (राजकी म0वि0 डोईवाला सम्बद्ध)
2. श्रीमती मधुबाला, प्रयोगशाला सहायक
3. श्रीमती बीना देवी, अनुसेवक (उपनल कर्मी)

प्रयोगशाला भूगोल :– 1. श्री अंकित रावत (अनुसेवक) (उपनल कर्मी)

प्रयोगशाला भौतिक विज्ञान :– 1. श्री मुकेशचन्द्र पटेल, प्रयोगशाला सहायक (उपनल कर्मी)

2. श्रीमती आरती, प्रयोगशाला सहायक (उपनल कर्मी)

3. श्री मान सिंह, अनुसेवक (उपनल कर्मी)

प्रयोगशाला जन्तु विज्ञान :– 1. श्री मक्खन लाल, प्रयोगशाला सहायक (उपनल कर्मी)

2. श्रीमती नगीना आर्य, प्रयोगशाला सहायक (उपनल कर्मी)

3. श्री अमित चमोली, अनुसेवक (उपनल कर्मी)

प्रयोगशाला वनस्पति विज्ञान :– 1. श्री प्रवीन कोठियाल, प्रयोगशाला सहायक (उपनल कर्मी)

2. श्री अरविन्द सिंह रावत, प्रयोगशाला सहायक (उपनल कर्मी)

3. श्रीमती किरन , अनुसेवक (उपनल कर्मी)

प्रयोगशाला भू–विज्ञान :– 1. श्री गौरव परमार, प्रयोगशाला सहायक (उपनल कर्मी)

2. श्रीमती वर्षा रानी, प्रयोगशाला सहायक (उपनल कर्मी)

3. श्रीमती सरिता, अनुसेवक(उपनल कर्मी)

प्रयोगशाला सैन्य विज्ञान :– 1. श्री रणजीत सिंह, प्रयोगशाला सहायक

2. श्री नितेश सिंह, प्रयोगशाला सहायक (उपनल कर्मी)

3.श्री सुजान सिंह, अनुसेवक (उपनल कर्मी)

प्रयोगशाला मानव विज्ञान :– 1. श्री जयवीर सिंह (प्रयोगशाला सहायक)

2. श्री अरुण कुमार , अनुसेवक (उपनल कर्मी))

कला संकाय :– 1. श्री भीम सिंह (अनुसेवक) (उपनल कर्मी)

वाणिज्य संकायः– 1. श्री अरुण कुमार , अनुसेवक (उपनल कर्मी)

चौकीदार/स्वच्छक :– 1. श्रीमती सन्तोष

2. श्री आदर्श भारती